बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक -2/सी.एम.टी.-96/2011 परि. 2892 पटना, दिनांक 18/7/2012

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन एवं माननीय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पेटिशन संख्या-510/2005 में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम (लिंकप्वाईट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम), नई दिल्ली के साथ H.S.R.P. योजना के कार्यान्वयन हेतु एकरारनामा निष्पादित किया गया ।

2. उक्त एकरारनामा की कंडिका 2.3.2 के आलोक में निम्नांकित जिलों के जिला परिवहन कार्यालय परिसर में पर्याप्त स्थान के अभाव में निम्नांकित स्थलों को दिनांक 10.06.2012 के प्रभाव से Deemed DTO Premises अधिसूचित किया जाता है :-

1.	पटना	पटना बाई पास रोड, पहाड़ी, ट्रान्सपोर्ट नगर, गेट नं0-2, पटना ।
2.	गया	केन्दुई, गया-बोध गया रोड, स्टॉल नं0-2 एवं 3, शिव मंदिर के सामने, सूर्य मंदिर के निकट ।
3.	नवादा	गोण्डापुर, नवादा ।
4.	कैमूर	पंचमुखी हनुमान मंदिर, राजेन्द्र सरोवर, बेलवटिया, वार्ड नं0-11, भभुआ।
5.	रोहतास	सासाराम डिलियां ।
6.	औरंगाबाद	जयदेव नगर, बाई पास नवीनगर रोड ।

3. मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम, (लिंकप्वाईट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम) नई दिल्ली को प्राधिकृत किया जाता है कि "Deemed DTO Premises" के अन्तर्गत संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (निबंधन प्राधिकार) के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में H.S.R.P. लगाने का कार्य सम्पादित किया जाय ।

4. H.S.R.P. की निर्धारित दर निम्न प्रकार है -

क्रमांक	वाहनों की श्रेणी	-	H.S.R.P. की दर
1	दो पहिया वाहन	-	रू0 131.00
2	तिपहिया एवं अशक्त वाहन	-	रू0 162.00
3	हल्के मोटर वाहन/पैसेन्जर कार	-	रू0 335.00
4	मध्यम/भारी मोटर वाहन/ट्रेलर/कम्बीनेशन	-	रू0 310.00
5	कृषि ट्रैक्टर/पावर ट्रेलर कम्बीनेशन	-	रू0 140.00

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

18/7/12

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग ।

E. Ra-Sn-doc-7/4

ज्ञापांक - 2892 पटना, दिनांक -18/7/2012

प्रतिलिपि : अधीक्षक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

18/7/12

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक - 2892 पटना, दिनांक -18/7/2012

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/7/12

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक - 2892 पटना, दिनांक -18/7/2012

प्रतिलिपि : वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/7/12

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक - 2892 पटना, दिनांक -18/7/2012

प्रतिलिपि : माननीय परिवहन मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/7/12

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग ।

E-Raj Sh doc-705